



# लोक सभा सचिवालय

## शोध एवं सूचना प्रभाग

### सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस ( एलसी ) 2012/आईबी-2

जुलाई 2012

## उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 2012

संविधान में उपबंध है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने या अन्य कारण से राष्ट्रपति के पद पर हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख तक नया राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं करता है। वह तारीख किसी भी दशा में रिक्ति होने की तारीख के छह माह के बाद नहीं होगी। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

विगत साठ वर्षों में दो बार ऐसा अवसर आया जब उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन पर उपराष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि ने 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। इसी प्रकार, जब 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ तब उपराष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती ने 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला।

ऐसे अनेक अवसर आए जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या बीमारी के कारण उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया। दोनों आकस्मिकताओं अर्थात्, उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में, उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है।

जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसके पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होती हैं और वह उन्हीं परिलब्धियों, भत्तों और सुविधाओं का हकदार होता है जो राष्ट्रपति के लिए ग्राह्य हैं। संविधान में प्रावधान किया गया है कि इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।

उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी अपना पांच वर्ष का कार्यकाल 10 अगस्त 2012 को पूर्ण कर रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और परिणाम समय पर घोषित हो जाने चाहिए ताकि नया उपराष्ट्रपति 11 अगस्त 2012 या उससे पूर्व पदभार ग्रहण कर ले। अभी तक 1952 से 2007 तक तेरह उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति का चौदहवां निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअधिसूचित, 7 अगस्त 2012 को होगा।

#### भारत के उपराष्ट्रपति

|   |   |
|---|---|
| डॉ. एस. राधाकृष्णन<br>(13 मई 1952-12 मई 1962)         | श्री आर. वेंकटरमण<br>(31 अगस्त 1984-24 जुलाई 1987)      |
| डॉ. जाकिर हुसैन<br>(13 मई 1962-12 मई 1967)            | डॉ. शंकर दयाल शर्मा<br>(3 सितम्बर 1987-24 जुलाई 1992)   |
| श्री वी.वी. गिरि*<br>(13 मई 1967-3 मई 1969)           | श्री के.आर. नारायणन<br>(21 अगस्त 1992-24 जुलाई 1997)    |
| श्री जी.एस. पाठक<br>(31 अगस्त 1969-30 अगस्त 1974)     | श्री कृष्ण कांत<br>(21 अगस्त 1997-27 जुलाई 2002)        |
| श्री बी.डी. जत्ती**<br>(31 अगस्त 1974-30 अगस्त 1979)  | श्री भैरों सिंह शेखावत<br>(19 अगस्त 2002-21 जुलाई 2007) |
| श्री एम. हिदायतुल्ला<br>(31 अगस्त 1979-30 अगस्त 1984) | मोहम्मद हामिद अंसारी<br>(11 अगस्त 2007-आज तक)           |

\*श्री वी.वी. गिरि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे।

\*\*श्री बी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे।

#### उपराष्ट्रपति की पदावधि

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

## पद त्याग

उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पद त्याग कर सकता है। ऐसा त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित और लिखित में दिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोक सभा सहमत हो।

## निर्वाचन के लिए पात्रता

संविधान के अनुच्छेद 66 में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए; उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए; और वह राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो। ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। तथापि, कोई व्यक्ति केवल इसी कारण से कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है अथवा किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ अथवा किसी राज्य का मंत्री है, लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं समझा जायेगा।

उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई वर्तमान सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति पद के ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

## पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

वर्तमान और पूर्व उपराष्ट्रपति जितनी बार चाहें पुनर्निर्वाचन में भाग लेने के पात्र हैं।

डॉ. एस. राधाकृष्णन एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो 1957 में पुनः निर्वाचित हुए थे।

## निर्वाचकगण

भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ऐसे निर्वाचन में, राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य सभा के नामनिर्देशित सदस्य, लोक सभा के निर्वाचित सदस्य, लोक सभा के नामनिर्देशित सदस्य निर्वाचकगण के सदस्य होते हैं। जिन सदस्यों के संबंध में उचित न्यायालय अर्थात् उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को निरस्त करने के आदेश को लागू करने पर एक सीमित स्थगन दिया गया हो, उन्हें निर्वाचन में मत देने का हक नहीं है चाहे उनका नाम निर्वाचकगण में शामिल किया गया हो।

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि से भिन्न है क्योंकि राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचकगण के सदस्य नहीं होते हैं।

## 14वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण

### राज्य सभा

|               |     |
|---------------|-----|
| निर्वाचित:    | 233 |
| नामनिर्देशित: | 12  |

### लोक सभा

|               |     |
|---------------|-----|
| निर्वाचित:    | 543 |
| नामनिर्देशित: | 2   |
| कुल           | 790 |

## मत का मूल्य

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य 1 है।

## निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन

मूल रूप से यथाअधिनियमित संविधान के अनुच्छेद 66 में यह उपबंध है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में शामिल दोनों सभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। तथापि, न तो 1952 में और न ही 1957 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान ऐसी कोई बैठक हुई क्योंकि दोनों ही अवसरों पर निर्वाचन निर्विरोध हुआ। गहन विचार-विमर्श के बाद यह महसूस किया गया कि इस स्वरूप के महत्वपूर्ण निर्वाचन के विभिन्न चरणों को किसी एक स्थान पर एकत्र हुए 700 से अधिक सदस्यों की संयुक्त बैठक के द्वारा संतोषजनक या सुविधाजनक ढंग से पूरा नहीं कराया जा सकता। तदनुसार इस खंड को संविधान (ग्यारहवां) संशोधन अधिनियम, 1961 के द्वारा संशोधित किया गया जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक संबंधी पूर्ववर्ती अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया और "संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा" निर्वाचन की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 71 को भी यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया कि निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से उत्पन्न किसी रिक्ति के आधार पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

## निर्वाचन की अधिसूचना

उपराष्ट्रपति की पदावधि के समाप्त होने से उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए उसकी पदावधि के अवसान से पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाना आवश्यक है। तथापि, उपराष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने या पद से हटाये जाने के कारण या अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति उत्पन्न होने के बाद यथाशीघ्र कराया जाता है।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अधीन भारत निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हेतु अधिसूचना पदावरोही उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पूर्व के साठवें दिन को अथवा उसके पश्चात् किसी दिन जारी कर सकता है।

उपराष्ट्रपति के पद को भरने हेतु निर्वाचन के विस्तृत कार्यक्रम वाली एक प्रेस विज्ञप्ति निर्वाचन आयोग द्वारा 3 जुलाई, 2012 को जारी की गई है।

### रिटर्निंग ऑफिसर

परम्परानुसार, लोक सभा के महासचिव अथवा राज्य सभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। 2007 के उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए राज्य सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। अतः 2012 के उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव श्री टी.के. विश्वानाथन को रिटर्निंग ऑफिसर और श्री वी.आर. रमेश, संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए पहले, दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, दसवें और बारहवें निर्वाचन के लिए लोक सभा के सचिव/महासचिव और तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें तथा तेरहवें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्य सभा के सचिव/महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। तथापि, ग्यारहवें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान राज्य सभा अथवा लोक सभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने की सुस्थापित परंपरा से हटकर संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था।

### मतदान स्थल

उपराष्ट्रपति निर्वाचन, 2012 के लिए संसद भवन, नई दिल्ली के प्रथम तल पर कक्ष सं. 63 को मतदान स्थल निर्धारित किया गया है।

### मतगणना

मतों की गणना, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर नई दिल्ली स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में होती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अब तक हुए निर्वाचनों में मतों की गणना मतदान के दिन ही पूरी कर ली गई थी।

### निर्वाचन के लिए कोटा

रिटर्निंग ऑफिसर सबसे पहले मतों की गणना शुरू करते हैं और मत-पत्रों की जांच करके अवैध मतों को अलग कर देते हैं। वैध मत-पत्रों को उम्मीदवार के लिए रखी गई ट्रे में मत-पत्रों पर अंकित प्रथम अधिमानता के अनुसार चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों में वितरित कर दिया जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त कुल वैध मतों की गणना के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त वैध मतों का योग करता है। तत्पश्चात् किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने के लिए कोटे को, कुल वैध मतों को 2 से भाग करके और भागफल में 1 जोड़कर तथा शेष यदि कोई हो तो उसे छोड़कर अवधारित किया जाता है।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सभी अभ्यर्थियों को मिले वैध मतों का योग 789 है तो निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा होगा:

$$\frac{789}{2} + 1 = 394.50 + 1 \text{ (0.50 को छोड़ दिया जाए)}$$

$$\text{कोटा} = 394 + 1 = 395$$

कोटा तय करने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर को यह देखना होता है कि क्या किसी अभ्यर्थी ने उसे मिले प्रथम अधिमानता के मतों के योग के आधार पर निर्वाचित घोषित किए जाने का कोटा प्राप्त कर लिया है।

| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए निर्वाचन                 |                       |             |
|---|-----------------------|-------------|
| निर्वाचन  | उम्मीदवारों की संख्या | निर्वाचक गण |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ पहला निर्वाचन, 1952      | निर्विरोध निर्वाचित @ | 715         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ दूसरा निर्वाचन, 1957     | निर्विरोध निर्वाचित @ | 735         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ तीसरा निर्वाचन, 1962     | दो                    | 745         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ चौथा निर्वाचन, 1967      | दो                    | 749         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ पांचवां निर्वाचन, 1969   | छह                    | 759         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ छठा निर्वाचन, 1974       | दो                    | 767         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ सातवां निर्वाचन, 1979    | निर्विरोध निर्वाचित @ | 788         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ आठवां निर्वाचन, 1984     | दो                    | 788         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ नौवां निर्वाचन, 1987     | निर्विरोध निर्वाचित @ | 790         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ दसवां निर्वाचन, 1992     | दो                    | 790         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ ग्यारहवां निर्वाचन, 1997 | दो                    | 790         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ बारहवां निर्वाचन, 2002   | दो                    | 790         |
| उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ तेरहवां निर्वाचन, 2007   | तीन                   | 790         |

@ डॉ. एस. राधाकृष्णन, श्री एम. हिदायतुल्ला और डॉ. शंकर दयाल शर्मा क्रमशः 1952 और 1957, 1979 और 1987 के उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए।

यदि प्रथम अधिमानता मतों के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी कोटा प्राप्त नहीं करता तो रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना के दूसरे दौर की प्रक्रिया आरंभ करता है जिसमें प्रथम अधिमानता के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अपवर्जित कर दिया जाता है और उसके मतों को इन मत-पत्रों पर अंकित दूसरी अधिमानता के अनुसार शेष अभ्यर्थियों में वितरित कर दिया जाता है। अन्य बने रहने वाले अभ्यर्थी, अपवर्जित अभ्यर्थी के मतों को 'एक' के समान मूल्य पर प्राप्त करते हैं।

रिटर्निंग ऑफिसर गणना के बाद वाले दौरों में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तब तक अपवर्जित करता जाता है जब तक बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से कोई एक या तो अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता या एकल बने रहने वाले अभ्यर्थी के रूप में केवल एक ही अभ्यर्थी मैदान में शेष रह जाता है और वह उसे निर्वाचित कर देता है।

### निर्वाचन पर विवाद

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी शंका या विवाद को लेकर कोई प्रश्न निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही उठाया जा सकता है और उसकी जांच और उस पर विनिर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली याचिका ऐसे निर्वाचन में शामिल किसी अभ्यर्थी द्वारा अथवा दस या दस से अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त याचिकाकर्ता के रूप में उच्चतम न्यायालय को दी जा सकती है। ऐसी कोई याचिका निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम की घोषणा के प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### अभ्यर्थी की जमानत राशि को जब्त अथवा वापिस किया जाना

यदि अभ्यर्थी निर्वाचित न हुआ हो तथा उसे प्राप्त वैध मतों की संख्या ऐसे निर्वाचन में अभ्यर्थी के सफल निर्वाचन के लिए आवश्यक मतों की संख्या के छोटे भाग से अधिक न हो तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अन्य मामलों में जमानत राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जाएगी।

### उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण उपबंध

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और पद्धति सविस्तार दी गई है जिसका आरंभ निर्वाचन आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति से होता है। अभ्यर्थिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:—

- वर्ष 1974 तक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अभ्यर्थी के नामांकन पत्र पर केवल एक प्रस्तावक और एक समर्थक के हस्ताक्षर अपेक्षित थे तथा जमानत राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं थी। वर्ष 1974 में नामांकन पत्र पर कम से कम पांच प्रस्तावकों और पांच समर्थकों के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए। वर्ष 1977 में यह संख्या बढ़ाकर बीस प्रस्तावक और बीस समर्थक कर दी गई।

- जमानत राशि का प्रावधान 1974 में आरंभ किया गया जो उस वर्ष 2500 रुपए थी। वर्ष 1997 में इसे बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया गया। तथापि यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक नामांकन पत्र हैं तो यह राशि एक बार ही जमा करानी होगी।
- कोई भी निर्वाचक प्रस्तावक या समर्थक के रूप में एक से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता और यदि वह ऐसा करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर को प्रथम परिदत्त नामांकन पत्र से भिन्न किसी भी नामांकन पत्र पर उसके हस्ताक्षर अप्रवर्तनीय होंगे।
- किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ संसदीय क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, की निर्वाचक सूची में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की प्रामाणिक प्रति भी संलग्न होनी चाहिए।

### कुछ तथ्य

- उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन; डॉ. जाकिर हुसैन; श्री वी.वी. गिरि; श्री आर. वेंकटरमण; डॉ. शंकर दयाल शर्मा और श्री के.आर. नारायणन बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने।
- वर्ष 1969 में हुए पांचवें उपराष्ट्रपति चुनाव में छह अभ्यर्थी थे जो आज तक उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु अभ्यर्थियों की सबसे अधिक संख्या है।
- वर्ष 1979 में सातवें उपराष्ट्रपति चुनाव में 13 नामांकन पत्र भरे गए। संवीक्षा करने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने श्री एम. हिदायतुल्ला के अतिरिक्त शेष सभी अभ्यर्थियों के नामांकन रद्द कर दिए। श्री हिदायतुल्ला को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
- इसी प्रकार वर्ष 1987 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में 27 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए थे किंतु संवीक्षा में केवल डॉ. शंकर दयाल शर्मा का नामांकन ही वैध पाया गया। उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
- सभी उपराष्ट्रपतियों ने निर्वाचन में गणना के प्रथम दौर में अपेक्षित कोटा प्राप्त किया और निर्वाचित घोषित किए गए।
- वर्ष 1962 और 1967 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन एक साथ एक ही दिन क्रमशः 7 मई, 1962 और 6 मई, 1967 को हुए। परिणामतः बहुत से सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु राज्य की राजधानियों में मतदान करने की अनुमति ली थी, वे उसी दिन नई दिल्ली में हुए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर पाए क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु मतदान केवल नई दिल्ली में ही होता है।

संसद सदस्यों के उपयोग हेतु भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर श्री पी.के. मिश्रा, संयुक्त सचिव और श्रीमती रेनु सदाना, निदेशक की देख-रेख में श्रीमती मंजू शर्मा, अपर निदेशक और श्री बाबूलाल नाईक, संयुक्त निदेशक द्वारा तैयार किया गया। यह एक पृष्ठाधार सहायक सामग्री है। फीडबैक का स्वागत है और इसे lca-iss@sansad.nic.in पर भेजा जा सकता है।